न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – मुकेश बारेठ, आर.ए.एस
आवेदनपत्र संख्या 65/2019
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

इन्द्रजीत कौर पत्नी दलवीर सिंह जाति जट सिख निवासी जोधेवाला तह0 व जिला श्री गंगानगर।
–वादी

बनाम

1. जगदीश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति अरोड़ा निवासी नाचना तह0 मोहनगढ़ जिला जैसलमेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्री गंगानगर।
3. कुलविन्द्र कौर पत्नी हरजीत सिंह जाति जट सिख निवासी जोधेवाला तह0 व जिला श्री गंगानगर।
4. महेन्द्रपाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी सागरवाला तह0 व जिला श्री गंगानगर।
5. विनोद कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी सागरवाला तह0 व जिला श्री गंगानगर।
6. भूपराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी सागरवाला तह0 व जिला श्री गंगानगर।
–प्रतिवादीगण

उपस्थित – श्री ओ0पी0 बत्तरा (वादी)
श्री राजेश गुम्बर (प्रतिवादी 1)
श्री पैरोकार राज (प्रतिवादी 2)

:– आदेश –: 09 दिसम्बर,2019

आवेदन पत्र के तथ्यो के अनुसार चक 29 जी जी तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 68/65, मु0 न0 31 के किला न0 14/2 से 25 का 2.846 हे0 अप्रार्थी सं0 4 ता 6 के नाम खातेदारी दर्ज था, जिसमें से उन्होने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा किला न0 14/2 का 0.063 हे0, किला न0 15 ता 19 प्रत्येक सालम व किला न0 21 ता 25 प्रत्येक सालम प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 3 को किलावाईज विक्रय किया गया, जिसका इंतकाल सं0 626/06.05.19 को दर्ज होकर उपरोक्त किलावाईज रकबा प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 3 के कब्जा में चला आ रहा है। अप्रार्थी सं0 4 ता 6 के द्वारा मु0 न0 31 के किला न0 20 सालम अप्रार्थी सं0 1 को विक्रय किया, जिसका इंतकाल सं0 625/22.04.19 दर्ज होकर किला न0 20 का 0.253 हे0 नहरी अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज हुआ, इस प्रकार अप्रार्थी सं0 4 ता 6 के द्वारा उपरोक्त खाता की समस्त भूमि विक्रय कर दी गई, अतः उनको इसी कारण तरतीबी पक्षकार बनाया गया है। खाता सं0 68/65, मु0 न0 31 की उपरोक्त भूमि 2.846 हे0 आज भी नहरी दर्ज है, जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है, जो कि राजस्व पटवारी द्वारा दिनांक 22.10.19 को जारी की गई है। अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा जो कि इस क्षेत्र में निवास नहीं करता है, ना ही भूमि को काश्त करता है, जानबूझकर प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 3 को तंग परेशान करने की नियत से गलत तौर से मु0 न0 31 के किला न0 20 का 0.253 हे0 में से 0.127 हे0 का कथित उपहार–पत्र ग्राम पंचायत जोधेवाला के नाम से दिनांक 15.07.19 को यह दर्ज करते हुए कि वह उपरोक्त रकबा सार्वजनिक शमशान भूमि के उपयोग हेतु उपहार स्वरूप दे रहा है, उपहार–पत्र तहरीर तकमील करवाकर तस्दीक करवाया गया जबकि कोई उपहार पत्र कानूनन कंडीशनल नहीं करवाया जा सकता, जिससे कि साथ लगती भूमि के काश्तकारों के संवैधानिक अधिकार प्रभावित होते हो, कथित दान–पत्र चूंकि उपरोक्त शर्त के साथ करवाया गया है, जो कि शुरु से शून्य होने के कारण स्वतः ही निष्प्रभावी

सहायक कलक्टर एव
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

अधिवक्तागण उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा बहस प्रस्तुत की गई

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत कमशः

2012(1) RRT 95 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER BHOPAL SINGH thr. L.Rs. VS. Lachhusingh & Ors.

2018(2) RRT 1140 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Sona Devi VS. Phoolaram @ Phoolchand & Anr.

2008 DNJ(SC) 1 Asokan VS. Lakshmikutty & Ors.

HIGH COURT LR's of Bhagwana Ram Chamar & ors vs. Gurmaje Kaur Majbi & Ors. -(56)

1993 DNJ(SC)166 Jattu Ram vs. Hakam Singh & Ors.

2018 RBJ 499 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Ravi Maheshwari vs. Parmeshwari Devi

2018 RBJ 503 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Bhagirath vs. Ramchander

का ससम्मान अवलोकन किया गया.

आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत पंजीकृत दस्तावेज उपहारपत्र दिनांक 15 जुलाई, 2019 से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने स्वामित्व के खाता संख्या 68/65 मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 20(0.253) हैक्टर में से 0.127 हैक्टर कृषि भूमि ग्राम पंचायत, जोधेवाला को उपहार दी जा चुकी है । उपहार पत्र की वैधता की विविक्षा इस न्यायालय का विषय नही है। परन्तु प्रशनगत भूमि की किस्म कृषि भूमि है अतः सक्षम प्राधिकारी से अनुमति/स्वीकृति प्राप्त किये बिना अन्य कोई उपयोग सिवाय कृषि भूमि के नही किया जा सकता। अतः वाद विषय भूमि का कृषि के अतिरिक्त अन्य कोई उपयोग सक्षम प्राधिकारी से अनुमति/स्वीकृति के बिना नही किया जायेगा।

आदेश अधिवक्तागण की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को जारी किया गया.

(मुकेश बारेठ)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर एवं
सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक)
कार्यपालक दण्डनायक
श्रीगंगानगर।
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर